

**नगरीय सीमा में स्थित कृषि भूमि को अकृषि उपयोग हेतु भूमि
समर्पण/पर्यवसान/नियमन/आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र**

क्रमांक : 2511

सेवामें,

सचिव,
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

विषय : नगरीय सीमा में स्थित राजस्व ग्राम तहसील जोधपुर
के कृषि भूमि खसरा संख्या रकबा के खातेदारी
अन्य अधिकारों की धारा 90 (ख) के अन्तर्गत समर्पण के आधार पर पर्यवसान किया जाकर भूमि पुनर्ग्रहण पश्चात्
नियमित कर आवंटन पत्र जारी करने के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (ख) के अन्तर्गत प्रार्थी की भूमि खसरा नं.
रकबा/क्षेत्रफल ग्राम तहसील जोधपुर में निहित अपने समस्त हित
एवं अधिकार राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर अनुरोध है कि उक्त समर्पित भूमि के खातेदारी व अन्य समस्त हित व अधिकार
पर्यवसित कर, उक्त भूमि राज्य पक्ष में पुनर्ग्रहित करने संबंधी आदेश पारित करने का श्रम करावें।

प्रार्थी उक्त समर्पित भूमि पर भूमि का प्रतिफल अदा कर खातेदार/क्रेता/विक्रय करार धारक/मुख्तयार आम/वसीयत
धारक या अन्य रीति से कब्जेदार की हैसियत से काबिज है। प्रार्थी समर्पित भूमि को अपने पक्ष में नियमित कर लीज होल्ड आधार
पर आवंटन पत्र/लीजडीड जारी करने के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समस्त प्रकार की राशि जोधपुर विकास
प्राधिकरण, जोधपुर के कोष में जमा कराने हेतु सहमत है। प्रार्थी द्वारा इस सन्दर्भ में निम्नानुसार समर्पित भूमि के सन्दर्भ में सूचना
व दस्तावेज प्रस्तुत है :-

1. आवेदन I. पिता/पत्नि/पुत्र/पुत्री
का II. पिता/पत्नि/पुत्र/पुत्री
नाम III. पिता/पत्नि/पुत्र/पुत्री
2. यदि आवेदक आवासीय सहकारी समिति स्वयं है अथवा सदस्य है तो,
I. समिति का नाम :
II. पंजीयन संख्या :
III. पंजीकृत पता :
IV. समिति अध्यक्ष/प्रशासक/अधिकृत व्यक्ति/सदस्य का नाम
पिता का नाम समिति का वर्तमान पता
3. योजना का नाम (यदि हो तो)
4. आवेदित योजना में सम्मिलित प्रत्येक खसरे की भूमि का विवरण :
I. खसरा संख्या :
II. रकबा क्षेत्रफल : बीघा वर्गगज
III. खातेदारी भूमि से अधिक योजना में सम्मिलित सरकारी भूमि का खसरा सं. रकबा/क्षेत्रफल
..... बीघा वर्गगज
IV. योजना में सम्मिलित कुल भूमि बीघा वर्गगज

5. आवेदक द्वारा समाप्त भूमि/मुखण्ड सं. क्षेत्रफल फुट X फुट
अर्थात् बीघा वर्गगज
6. समर्पित भूमि का मौके पर वर्तमान उपयोग :-
I. आवासीय प्रयोजनार्थ वर्ग फुट निर्मित क्षेत्रफल
II. वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ वर्ग फुट निर्मित क्षेत्रफल
7. शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि रूपान्तरण आदेश, 1978 के अन्तर्गत निर्धारित जोन के अनुसार आवेदित भूमि जोन संख्या में स्थित है।
8. मास्टर प्लान के अनुसार आवेदित योजना/भूमि का भू-उपयोग
प्रतिबंधित श्रेणी में आवासीय/व्यावसायिक में परिवर्तित आदेश क्रमांक
हो चुका हो तो उक्त आदेश की प्रति संलग्न करें दिनांक
9. यदि आवेदक द्वारा पूर्व में रूपान्तरण नियम 1981 के अन्तर्गत भूमि रूपान्तरण विभाग में राशि जमा करवाई है तो अलग-अलग मद में जमा राशि का विवरण व चालान की मूल प्रति संलग्न करें :- राशि रु.
चालान सं. दिनांक मद
10. वर्तमान नियमों के अन्तर्गत पूर्व में उपरोक्त जमा राशि की कटौती पश्चात् जमा योग्य शेष बकाया राशि अथवा पूर्व में राशि जमा नहीं है तो वर्तमान निर्धारित दर के अनुरूप स्वः निर्धारण के आधार पर निर्धारित राशि बैंक में जमा करवाकर चालान की प्रति संलग्न करें :-
राशि रु. चालान सं. दिनांक
11. क्या आवेदक द्वारा समर्पित भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदार से सम्बन्धित है अंकित करें।
.....
12. क्या आवेदक सरकारी भूमि पर अतिक्रमी है, विवरण अंकित करें :
13. आवेदक द्वारा समर्पित भूमि खातेदारी भूमि है व आवेदक उस पर किस हैसियत व दस्तावेज के आधार पर काबिज है, अंकित करें (खातेदार/क्रेता/इकरार धारक/वसीयत धारक/समिति सदस्य)
14. मूल खातेदार से आवेदक तक निष्पादित हस्तांतरण व दस्तावेजों के अनुसार विवरण :
I. मूल खातेदार का नाम पिता
निवासी
II. वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार का नाम
पिता का नाम निवासी
III. मूल खातेदार के पश्चातावर्ती विक्रेताओं का विवरण :-

क्र. सं.	विक्रेता का नाम (खातेदार से अंतिम आवेदक तक)	प्रत्येक खसरे का विवरण			हस्तांतरण दिनांक	हस्तांतरण का प्रकार यथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से या इकरार नामा से	विशेष विवरण
		खसरा नं.	रकबा बीघा	वर्गगज			
1.							
2.							
3.							
4.							

नोट :- उपरोक्त कॉलम में पूर्ण विवरण अंकित नहीं हो सकता हो तो अलग से उक्त विवरण अंकित संलग्न करें एवं हस्तांतरण दस्तावेजों, आम मुख्तयार नामा, वसीयत इत्यादि की चार प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

15. यदि आवेदित योजना में सम्मिलित भूमि भू-स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम/कृषि अधिकतम जोत सीमा अधिनियम से प्रभावित हो अथवा किसी भी विभाग/संस्था के प्रयोजनार्थ अवाप्तिधीन हो तो विवरण देवें तथा इस सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश/अधिसूचना की प्रति संलग्न करें एवं प्रत्येक खसरे का खसरा सं. एवं रकबा अंकित करें :-

16. यदि आवेदित योजना/भूखण्ड की भूमि में राजकीय नजूल भूमि/सिवाय चक/गैर मुम्किन रास्ता/गोचर/वन विभाग/अन्य किस्म की भूमि खातेदारी भूमि के अतिरिक्त सम्मिलित है जो ऐसी प्रत्येक किस्म की भूमि का खसरा संख्या एवं रकबा अंकित करें :-

17. यदि आवेदित योजना में सम्मिलित भूमि में मंदिर, माफी, देवस्थान विभाग/वक्फ/सार्वजनिक/धर्मार्थ/धार्मिक ट्रस्ट की भूमि सम्मिलित है तो प्रत्येक किस्म की भूमि का खसरा एवं रकबा अंकित करें :-

18. यदि आवेदित भूमि निम्नांकित मार्ग के समीप स्थित हो तो प्रत्येक भाग के केन्द्र बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी अंकित करें अन्यथा X चिन्ह अंकित करें :-

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| I. रेल मार्ग | फुट |
| II. राज्य मार्ग/सड़क | फुट |
| III. नदी/नहर/नाला के किनारे से | फुट |

19. यदि आवेदित योजना भूमि में सम्मिलित किसी खसरे की भूमि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन/निर्णीत है तो विवरण देवें :-

- | | |
|--|---|
| 1. न्यायालय | 2. वाद सं. व वर्ष |
| 3. पक्षकार | बनाम |
| 4. निर्णय दिनांक | (स्थगन आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) |
| 5. प्रकरण लम्बित हो तो वर्तमान स्थिति एवं आगामी तारीख पेशी | |
| 6. विवादित खसरा सं. | रकबा |

20. आवेदित योजना का अनुमोदित/प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार सार्वजनिक उपयोग अर्थात् पार्क, खुला क्षेत्र, शिक्षण संस्था/अस्पताल/धार्मिक स्थल इत्यादि की वर्तमान स्थिति एवं यदि निर्माण हो तो विवरण तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल
..... फुट X फुट = वर्गगज अंकित करें :-

21. योजना में सम्मिलित समस्त खसरों की भूमि का सम्पूर्ण ले-आउट मानचित्र 1 इंच बराबर 50 फुट की स्केल में आस पड़ौस के खसरों व सड़कों की स्थिति दर्शाते हुए लोकेशन की "की प्लान" (Key Plan) 1 इंच बराबर 200 फुट की स्केल में खसरा संख्या व योजना का नाम दर्शाते हुए हस्ताक्षर एवं निम्न विवरण सहित चार प्रतियों में संलग्न करें :-

- | | | |
|---|------------|--------------|
| 1. योजना भूमि का कुल क्षेत्रफल | बीघा | वर्गगज |
| 2. रहवासीय भूखण्डों के अन्तर्गत क्षेत्रफल | बीघा | वर्गगज |
| 3. व्यवसायिक भूखण्डों के अन्तर्गत क्षेत्रफल | बीघा | वर्गगज |
| 4. सड़कों के अन्तर्गत क्षेत्रफल | बीघा | वर्गगज |
| 5. पार्क के अन्तर्गत क्षेत्रफल | बीघा | वर्गगज |
| 6. खुला क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रफल | बीघा | वर्गगज |
| 7. शिक्षण संस्थान के अन्तर्गत क्षेत्रफल | बीघा | वर्गगज |
| 8. अस्पताल के अन्तर्गत क्षेत्रफल | बीघा | वर्गगज |
| 9. अन्य के अन्तर्गत क्षेत्रफल | बीघा | वर्गगज |

22. आवेदक की घोषणा -

उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है एवं इसमें कोई तथ्य गलत अंकित नहीं है तथा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। उपरोक्त जमा राशि के अपूर्ण पाये जाने पर शेष बकाया राशि नियमानुसार मेरे द्वारा आवंटन पत्र/लीज डीड जारी करने के पूर्व जमा करवा दी जाएगी एवं अन्य कोई वांछित सूचना आवश्यक हुई तो प्रस्तुत कर दी जावेगी। उपरोक्त समर्पित भूमि/भूखण्ड के एवज में अन्तिम सैटलमेन्ट के रूप में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा आवंटित भूखण्ड के क्षेत्रफल मुझे स्वीकार है इसके अतिरिक्त अन्य भूमि की मांग/भविष्य में नहीं करूंगा/करूंगी उपरोक्त विवरण सही पाये जाने की स्थिति में मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

पिता/पति का नाम

पता

दूरभाष नं.

नोट - यदि आवेदक स्वयं खातेदार अथवा सहकारी समिति का पदाधिकारी अथवा सहकारी समिति का सदस्य है तो अपनी स्थिति आवेदक के नाम व पिता के नाम के मध्य अंकित करें व यदि समिति का अधिकृत प्रतिनिधि है तो पदनाम व समिति की मोहर भी लगावें।

आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करें :-

1. सहकारी समिति द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र
2. पूर्व में जमा राशि की मूल चालान प्रति
3. सहकारी समिति की वर्तमान प्रबन्धकारिणी की सूची तथा निर्वाचन अधिकारी की घोषणा की प्रमाणित छाया प्रति/अवसायन की स्थिति में अवसायन आदेश व प्रशासक नियुक्ति आदेश की प्रमाणिक प्रति।
4. वर्तमान जमाबंदी की दो प्रमाणित प्रतियाँ तथा मूल खातेदार से आवेदक तक हुए समस्त हस्तान्तरण दस्तावेजों की चार प्रतियाँ।
5. योजना मानचित्र तथा की-प्लान की चार प्रतियाँ।
6. राजस्व नक्शे की दो प्रतियाँ।
7. भूमि आविप्त अधिनियम/भू-स्वामियों की सम्पदाअर्जन अधिनियम/कृषि भूमि अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के सम्बन्ध में ब्यौरा एवं दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति।
8. राजकीय भूमि/सिवाय चक/वन विभाग की भूमि में सम्बन्धित ब्यौरा एवं दस्तावेजात।
9. सहकारी समिति के सदस्यों की सूची दो प्रतियाँ में मय पिता/पति का नाम।
10. भूमि के संबंध में लम्बित न्यायिक प्रकरण की प्रति।
11. निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र रु. 10 तथा क्षतिपूर्ति बंधक पत्र रु. 75/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित।
12. अन्य कोई दस्तावेज।

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक

दिनांक

श्री पुत्र/पत्नी श्री

पता

द्वारा खसरा सं. ग्राम योजना

के सन्दर्भ में प्रस्तुत भूमि समर्पण/पुनर्ग्रहण/आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ।

दिनांक

प्राप्तकर्ता

कृते सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

चालान

(बैंक की प्रति)

कृषि भूमि के नियमन के लिए

चालान संख्या 2511 दिनांक

आवंटी/भूखण्डधारी का नाम

सहकारी समिति का नाम

गांव का नाम खसरा सं.

कॉलोनी का नाम

भूखण्ड क्षेत्रफल

भूखण्ड संख्या

(कृपया सही कॉलम में राशि भरें।)

1. नियमन शुल्क

2. ब्याज

3. नाम प्रतिस्थापना/

हस्तांतरण शुल्क

4. अन्य

योग

(शब्दों में) रुपये

चैक/पे-ऑर्डर/डी.डी./संख्या

दिनांक बैंक

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता ह.बैंक रोकड़पाल

जो.वि.प्रा.खाता संख्या

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

चालान

(जो.वि.प्रा. की प्रति)

कृषि भूमि के नियमन के लिए

चालान संख्या 2511 दिनांक

आवंटी/भूखण्डधारी का नाम

सहकारी समिति का नाम

गांव का नाम खसरा सं.

कॉलोनी का नाम

भूखण्ड क्षेत्रफल

भूखण्ड संख्या

(कृपया सही कॉलम में राशि भरें।)

1. नियमन शुल्क

2. ब्याज

3. नाम प्रतिस्थापना/

हस्तांतरण शुल्क

4. अन्य

योग

(शब्दों में) रुपये

चैक/पे-ऑर्डर/डी.डी./संख्या

दिनांक बैंक

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता ह.बैंक रोकड़पाल

जो.वि.प्रा.खाता संख्या

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

चालान

(प्राधिकृत अधिकारी की प्रति)

कृषि भूमि के नियमन के लिए

चालान संख्या 2511 दिनांक

आवंटी/भूखण्डधारी का नाम

सहकारी समिति का नाम

गांव का नाम खसरा सं.

कॉलोनी का नाम

भूखण्ड क्षेत्रफल

भूखण्ड संख्या

(कृपया सही कॉलम में राशि भरें।)

1. नियमन शुल्क

2. ब्याज

3. नाम प्रतिस्थापना/

हस्तांतरण शुल्क

4. अन्य

योग

(शब्दों में) रुपये

चैक/पे-ऑर्डर/डी.डी./संख्या

दिनांक बैंक

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता ह.बैंक रोकड़पाल

जो.वि.प्रा.खाता संख्या

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

चालान

(जमाकर्ता की प्रति)

कृषि भूमि के नियमन के लिए

चालान संख्या 2511 दिनांक

आवंटी/भूखण्डधारी का नाम

सहकारी समिति का नाम

गांव का नाम खसरा सं.

कॉलोनी का नाम

भूखण्ड क्षेत्रफल

भूखण्ड संख्या

(कृपया सही कॉलम में राशि भरें।)

1. नियमन शुल्क

2. ब्याज

3. नाम प्रतिस्थापना/

हस्तांतरण शुल्क

4. अन्य

योग

(शब्दों में) रुपये

चैक/पे-ऑर्डर/डी.डी./संख्या

दिनांक बैंक

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता ह.बैंक रोकड़पाल

जो.वि.प्रा.खाता संख्या